न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 28 / 2018 जिला दौसा

1. रामकिशन पुत्र भौंरी लाल
2. श्रीमति गुलाब पत्नि रामकिशन, जाति बैरवा, निवासी कानपुरा, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमति लाली देवी पुत्री बद्रीनारायण
2. श्री बदरीनारायण पुत्र रमसी
   जतियान मीना, निवासीयान कानपुरा, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राज.)
3. भू भिलेख अधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.3.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री जगदीश सोनी
2. व्कील रेस्पोंडेन्ट श्री सतीश पारीक

निर्णय

दिनांक– 21.8.2018

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.3.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम कानपुरा, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 723 रकबा 0.15 हैक्टेयर आवंटन सलाहकार समिति कानपुरा द्वारा दिनांक 10.6.2002 को अपीलान्ट्स रामकिशन पुत्र भौरी लाल , गुलाब पत्नी रामकिशन कौम बैरवा को आवंटित होने पर पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 708 एवं 723 का नामांतरकरण संख्या 178 दिनांक 10. 6.2002 को अपीलान्ट्स रामकिशन व गुलाब के नाम गैरखातेदारी का भरा गया, लेकिन प्रश्नगत नामांतरकरण नायब तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06, 709 रकबा 0.15 हैक्टेयर का स्वीकार किया गया। उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट लाली व बद्रीनारायण ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 23.6.2017 को प्रस्तुत की । जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2018 ने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 व 723 रबा 0.15 कुल रकबा 0.21 का आवंटन होने पर पटवारी द्वारा नामांतरकरण भरा जाकर नायब तहसीलदार को तस्दीक हेतु पेश करने पर नायब तहसीलदार द्वारा आराजी खसरा नम्बर 709 रकबा 0.06 व 708 रकबा 0.15 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर का तस्दीक किया है, जो आवंटन आदेश से भिन्न होने एव यदि कोई आदेश प्रथमतः ही अवैधानिक हो तो उसके लिए मियाद की बाधा नहीं होने से

अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हुये अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 178 दिनांक 10.6.2002 निरस्त किया गया एवं प्रकरण संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुये पक्षकारान को साक्ष्य/ सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया । जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 21.3.2018 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.3.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स को आवंटन सलाहकार समिति कैम्प कानपुरा द्वारा दिनांक 10.6.2002 को भूमि आवंटन की गई थी तथा उसी दिन अपीलान्ट्स को मौके पर खसरा नम्बर 708 की 0.06 व 709 की 0.15 हैक्टेयर भूमि का कब्जा सम्भलाया गया था तथा फीस वसूली गई थी । नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट्स को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्भलाये गये भूमि के कब्जे के अनुसार ही तस्दीक किया है तथा इसी अनुसार अपीलान्ट्स का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स को खसरा नम्बर 708 व 709 की ही भूमि आवंटित हुई थी और कब्जा भी इन्हीं खसरा नम्बर की भूमि का सम्भलाया था, लेकिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गलती से आवंटन पत्र में खसरा नम्बर 709 के स्थान पर 723 अंकित कर दिया गया । पटवारी व नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर जॉच करने के पश्चात् अपीलान्ट को सौंपी गई भूमि खसरा नम्बर 708 व 709 पर ही अपीलान्ट का कब्जा होना पाया था। अपीलान्ट अनपढ एवं ग्रमीण क्षेत्र के भोले व्यक्ति है जिनके द्वारा कब्जेशुदा भूमि पर सुधार कार्य किये हैं तथा आवंटन की समस्त किश्ते जमा कराई है । यदि अब अपीलान्ट को कब्जेशुदा भूमि से बेदखल किया जाता है तो वह विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के खिलाफ है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग 16 साल गुजरने के बाद प्रनगत नामांतरकरण को तकनिकी आधारों पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर थी, लेकिन बिना समुचित एवं उचित कारण नहीं होते हुये थी विलम्ब को क्षमा कर गुणावगुण के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है । विलम्ब के संबंध में दिन प्रतिदिन का उचित एवं संतोषजनक कारण होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा करना चाहिये, लेकिन 15 साल के निराशाजनक विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं होने पर भी विलम्ब को क्षमा करना विधिसम्यक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को विधिक रूप से अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करनी चाहिये थी । अपीलाधीन आदेश न्याय एवं समता के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर.2008 पेज 1097, 2003(1) आर. आर.टी. पेज 83, 2013 (1) सिविल कोर्ट केसेज 400 एस.सी., 1993(1) डब्ल्यू.एल.सी. पेज 496, 2002 आर.आर.डी. 527, 2007 (5) डब्ल्यू.एल.सी. 265, ए.आई.आर. 2014 एस. सी. 2326, 2015 (2) डब्ल्यू.एल.सी. एस.सी. सिविल 397 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम कानपुरा, तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 723 रकबा 0.15 हैक्टेयर का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 10.6.2002 द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को किया गया था जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट्स के नाम गैरखातेदारी का भरा गया, लेकिन नायब तहसलदार नांगल राजावतान द्वारा आवंटित खसरा नम्बर 708 व 723 के स्थान पर खसरा नम्बर 708 व 709 का तस्दीक कर दिया, जो आवंटन आदेश से भिन्न है । प्रश्नगत नामांतरकरण के आधार पर ही रेस्पोंडन्ट्स ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया, जो गैरकानूनी है । उनका कहना था कि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश से परे जाकर नायब तहसीलदार को नामांतरकरण तस्दीक करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा ऐसा नामांतरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध आदेश की श्रेणी में आता है एवं उसे चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । उनका यह भी कहना था कि अपीलान्ट्स के नाम गलत नामांतरकरण खुल जाने से रेस्पोंडेन्ट्स को बेदखल करने की गरज से न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से दिनांक 29.6.17 को उनवानी प्रकरण रामकिशन बनाम सरकार मुकदमा संख्या 24/17 बाबत पत्थरगढी धारा 128 में निर्णय करवा लिया व बेदखल करना चाहते है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2018 से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुये पक्षकारों को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलादार नांगल राजावता को रिमाण्ड किया है । प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष पक्षकारों की सुनवाई व दस्तावेजात की जॉच होकर पुनः नामांतरकरण तय होना है । अतः अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.3.18 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद रेस्पोंडेन्ट्स को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्रम कानपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 723 रकबा 0.15 हैक्टेयर आवंटित होने पर आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा इसी अनुसार प्रनगत नामांतरकरण संख्या 178 अपीलान्ट्स रामकिशन व गुलाब के नाम भरा गया, लेकिन नायब तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 हैक्टेर एवं खसरा नम्बर 723 रकबा 0.15 हैक्टेयर से भिन्न खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 709 रकबा 0.15 हैक्टेयर का स्वीकार किये जाने के संबंध में है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2018 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 व 723 रबा 0.15 कुल रकबा 0.21 का आवंटन होने पर पटवारी द्वारा नामांतरकरण भरा जाकर नायब तहसीलदार को तस्दीक हेतु पेश करने पर नायब तहसीलदार द्वारा आराजी खसरा नम्बर 709 रकबा 0.06 व 708 रकबा 0.15 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर का तस्दीक किया है, जो आवंटन आदेश से भिन्न होने एवं यदि कोई आदेश प्रथमतः ही अवैधानिक हो तो उसके लिए मियाद की बाधा नहीं होने से अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हुये अपील

अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 178 दिनांक 10.6.2002 निरस्त किया गया एवं प्रकरण संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुये पक्षकारान को साक्ष्य/ सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्रम कानपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 व 723 रबा 0.15 कुल रकबा 0.21 का आवंटन अपीलान्ट्स रामकिशन व गुलाब को किया था । पटवारी हल्का ने भी आवंटन आदेश के अनुसार ही आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 व 723 रबा 0.15 कुल रकबा 0.21 का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 178 भरा था, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 708 रकबा 0.06 एवं खसरा नम्बर 723 के स्थान पर 709 रकबा 0.15 हैक्टेयर का तस्दीक किया है, जो आवंटन आदेश से भिन्न होने से विधिसम्यक नही है । अपीलाधीन आदेश द्वारा भी इसी परिपेक्ष्य में रेस्पोंडेन्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 178 दिनांक 10.6.2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 21.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर